

धोखाधड़ी के आरोप मे अभियुक्त गिरफ्तार, 02 मोटरसाइकिल बरामद

जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने एवं जनपद में हो रहे धोखाधड़ी के खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 276/21 धारा 411, 419, 420 भादवि के खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज नवीन कुमार सिंह, के नेतृत्व में टीम गठित कर आज दिनांक 16.07.2021 को मुखवीर की सूचना पर थाना क्षेत्र कैम्पियरगंज के रामचौरा रेलवे स्टेशन पर जाने वाला रोड बहद ग्राम रामचौरा से 1. नन्द किशोर जायसवाल पुत्र विभूती जायसवाल निवासी ग्राम रावतगंज कुई थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

नन्द किशोर जायसवाल पुत्र विभूती जायसवाल निवासी ग्राम रावतगंज कुई थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

अभियोग का विवरण जिसमे गिरफ्तारी हुई का विवरण

मु0अ0सं0 276/21 धारा 411/ 419/ 420 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी दिनांक/ घटनास्थल व समय

16.07.21 / अलेनाबाद बस स्टाप / 06.30 बजे प्रातः

बरामदगी

02 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उनि. अतुल कुमार तिवारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. हे.का. हरिनारायण यादव थाना कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर
3. का. प्रवीण कुमार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. का. श्याम बाबू शाह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर